

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी/वादी	बनाम	विप्रार्थी/प्रतिवादी
पेम्पोदेवी पुत्री ठाकराराम पत्नी पवाराराम, जाति कुम्हार, निवासी ईश्वरपुरा तहसील व जिला बाड़मेर		सुगनी पत्नी ठाकराराम जाति कुम्हार, निवासी नया नागड़दा, तहसील शिव जिला बाड़मेर वगैरा (47)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (212) सपठित आदेश 39 नियम 1 व सीपीसी मुकदमा नम्बर 86 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2021	<p>प्रार्थीनी के अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व सीपीसी के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीनी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 27 की संयुक्त अविभाजित एवं पैतृक सहदायिक खातेदारी के खेत मौजा नया नागड़दा, पटवार मण्डल नागड़दा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 158, 157, 161, 155, 242/158 रकबा क्रमशः 48.4408, 0.0809, 8.2960, 0.0324, 2.2662 हैक्टेयर व मौजा नागड़दा, पटवार मण्डल नागड़दा के खसरा नम्बर 201, 205 रकबा क्रमशः 0.3885, 10.6513 एवं मौजा कायम की बस्ती के खसरा नम्बर 265 रकबा 3.2213 हैक्टेयर तथा मौजा निम्बलनाडा, पटवार मण्डल नागड़दा के खसरा नम्बर 131 रकबा 16.2926 हैक्टेयर और मौजा गुलबाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल नागड़दा के खसरा नम्बर 498, 453 रकबा क्रमशः 7.6647, 5.8275 हैक्टेयर तथा मौजा बूलों की ढाणी, पटवार मण्डल नागड़दा के खसरा नम्बर 35 रकबा 51.2493 हैक्टेयर के आये हुए है। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 27 पूर्व पुरुष हेमाराम के वंशज है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। विवादित आराजी में 1/6 हिस्सा ठाकराराम था। उक्त विवादित भूमि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 27 को विरासत में प्राप्त हुई है। ठाकराराम के 3 संताने सुगनी, पेम्पा व लिछमी है। लिछमी कुंवारी फौत हो चुकी है। इस कारण विवादित आराजी में ठाकराराम के हिस्से की भूमि में प्रार्थीनी का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीनी इसी हिस्सा मुजब अनुसार मौके पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थीनी के पिता ठाकराराम का देहांत होने पर उनके वारिसान में प्रार्थीनी का नाम नामान्तरकरण में लिखा गया, लेकिन नामान्तरकरण केवल मात्र विप्रार्थी संख्या 1 अकेले के नाम से स्वीकृत किया गया। राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर विप्रार्थीनी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 498 का बैचान विप्रार्थी संख्या 31 से 33 के पक्ष में, खसरा नम्बर 201, 205, 35, 453 का अंतरण विप्रार्थी संख्या 12, 28 व 29 के पक्ष में किया गया है, जो बैचान विप्रार्थीनी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक किया गया है। जिससे प्रार्थीनी का हित प्रभावित हुआ है। उक्त विप्रार्थीगण बैचान के आधार पर भूमि आगे बैचान प्रार्थीनी को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे है। चूंकि विवादित आराजी पैतृक एवं सहदायिक संपत्ति है प्रार्थीनी मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होने एवं प्रार्थीनी का ठाकराराम के घर जन्म होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत प्रार्थीनी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है।</p>	

सहायक कलक्टर
(बाड़मेर)

तारीख
हुता

हुता या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18.08.25

पत्रावली पेशा। कानुलाय अनुपस्थित।
 पत्रावली में पेशी हेतु पत्रावली व
 प्रमाणपत्र प्रदिवसा को न्यायालय लक्ष्य
 में रुक-रुक कर आवेजों की जाने
 के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अतः
 पत्रावली में प्रभावी पेशी नहीं होने
 तथा अनुपस्थित रहने पर उक्त
 आवेदन इसी स्तर पर अदालत पेशी
 व अदालत हाजरी में खारिज किया
 जाता है। साथ ही पूर्व में जारी
 अंतरिम अर्द्धादि निषेधाज्ञा को समाप्त
 किया जाता है।

पत्रावली नम्बर हेतु रुक रोक
 राखिल दफ्तर है।

सहायक फलवटर
 (SDO) शिव

सेवाएं

प्राथमिकी :-

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18.08.15

पत्रावली पेश। वाकुलाप अनुपस्थित।
 पत्रावली में पेशी हेतु पत्रकारान् व
 उपपत्रावली प्रदिवसा को वाकुलाप लक्षण
 में रुक-रुक कर आवृत्तों दी जाने
 के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अतः
 पत्रावली में प्रपत्तावी पेशी नहीं होने
 तथा अनुपस्थित रहने पर उक्त
 आवृत्त इसी स्टेज पर अटक चली
 व अटक हाली में खारिज किया
 जाता है। साथ ही पूर्व में जारी
 अंतरिम अस्थाई निष्पत्ता को समाप्त
 किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर
 दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
 (SDO) शिव

सेवासु

प्रार्थनी :-